क्रमांक 3233-4 जी0 एस0-II-72/18526

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप-मण्डल अधिकारी, हरियाणा।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा।

दिनांक चण्डीगढ, 21 जून, 1972

विषय :—भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 945-4 जी0एस0 II-72/ 645 दिनांक 6 मार्च, 1972, की ओर दिलाऊं जिस में और बातों के साथ साथ यह उपबंध किया गया था कि वीरगति प्राप्त आ हो गए सैनिकों की स्त्रियां/विधवाएं तथा आश्रित भी राज्य सरकार के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के ला के हकदार होंगे। इस से पूर्व परिपत्र संख्या 2815-4 जी0एस0-II-71/30857, दिनांक 29-10-71 के अनुसार जारी कि गए अनुदेशों में यह निर्णय किया गया था कि वर्ग 3 तथा 4 के सामान्य पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्तियों के लिए भूतपू सैनिकों का प्रवरण एक राज्य प्रवरण/समिति द्वारा किया जाएगा और जो उम्मीदवार इस समिति द्वारा चुने जाएंगे वे नियुक्ति प्राधि कारियों को मान्य होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यह प्रक्रिया इस लिए अपनाई गई थी ताकि उन्हें कई स्थानों पर इन्टर में उपस्थित होने का कष्ट तथा कठिनाई न हो। भूतपूर्व सैनिकों की स्त्रियों, विधवाओं तथा आश्रितों को भी इस प्रकार की कठिना न हो, इसलिये यह निर्णय किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों के प्रवरण के लिये उपर्युक्त अनुदेशों में अधिकथित प्रक्रिया वीरगति प्राप्त/अपंग भूतपूर्व सनिकों की स्त्रियों/विधवाओं तथा आश्रितों को भी लागू होंगी और सिविल पदों पर नियुक्तियों के लिए उनव प्रवरण भी राज्य प्रवरण समिति द्वारा किया जाएगा।

भवदीय,

हस्ता0

उप सचिव सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति निम्नलिखित :—

सभी वित्तायुक्त, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा है।